न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.154 / अपील / 2018 (GCMS No. 2018 / 00251)	02.04.2018	01.04.2024

1. भूली बाई पुत्री मथुरा पत्नी स्व.छीतर जाति कुम्हार, निवासी ग्राम हिण्डोली, तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी
2. छोटा पुत्री मथुरा पत्नी किशन जाति कुम्हार, निवासी ग्राम उमरथूना, तहसील बून्दी, जिला बून्दी
3. कजोड़ी पुत्री मथुरा पत्नी छोटू जाति कुम्हार, निवासी ग्राम नीम का खेड़ा, तहसील बून्दी, जिला बून्दी

— अपीलान्टस

बनाम

1. गणेश पुत्र भंवरलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम नीम का खेडा
2. शंभू पुत्र स्व. रामभरोस जाति कुम्हार निवासी ग्राम नीम का खेडा
3. नन्दू पुत्री भंवरलाल पत्नी श्योजी जाति कुम्हार निवासी धोवडा, तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी।
4. सोहनी पुत्री भंवरलाल पत्नी भूरया जाति कुम्हार निवासी नैनवां, तहसील नैनवां, जिला बून्दी।
5. मेदी पुत्री भंवरलाल पत्नी गिरिराज जाति कुम्हार निवासी नमाना, तहसील बून्दी, जिला बून्दी।
6. भूली पुत्री भंवरलाल पत्नी शंभूलाल जाति कुम्हार निवासी थडोदा, तहसील मांडलगढ़, जिला भीलवाड़ा।
7. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

— रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित—

अपीलांटस की ओर से श्री रियाजुद्दीन अंसारी, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्टस बावजूद सूचना उपस्थित नहीं।
रेस्पो.सं. 7 की ओर से पेरोकार सरकार।

न्यायालय जिला बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

निर्णय

यह अपील अपीलांटस ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 129 दिनांक 28.02.1972 ग्राम नीम का खेड़ा से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन विरासतन नामान्तरकरण खातेदार मथुरा आ. रामा के फोत हो जाने पर उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर कमांक 154/2018 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पो.सं.1 लगायत 6 की ओर से वकील श्री कैलाश गुप्ता एवं श्री हनुमान बैरागी का वकालतनामा पेश हुआ। रेस्पो. की ओर से दिनांक 18.12.2018 को जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी अपीलांटस को प्रारंभ से ही होने पर भी अपील 46 वर्ष के विलम्ब से पेश की गई, जो मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। इसके बाद रेस्पो.सं.1 लगायत 6 स्वयं या उनके अधिवक्ता के बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने से एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि जमाबंदी संवत् 2020 से 2025 की कृषि भूमि खसरा संख्या 145 मि., 145/2, 147, 148, 157/1, 157/2, 158, 160 कुल किता 8 कुल रकबा 18 बीघा 09 बिस्वा वाकेग्राम नीम का खेडा में स्थित है जिसके खातेदार होल्या, मथुरा पिता रामा हिस्सा 2/3 एवं मोत्या बेवा गोमदा हिस्सा 1/3 थे। खातेदार होल्या व मथुरा की मृत्यु हो चुकी है। अपीलांटस मृतक मथुरा आ. रामा की पुत्रियां है। अपीलांटस के पिता मथुरा की मृत्यु होने पर मथुरा के भाई होल्या के पुत्र भंवरलाल ने मथुरा के हिस्सा 1/3 का भी नामान्तरकरण सं.129 दिनांक 28.02.1972 को राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों को असत्य तथ्य प्रकट करते हुये मिलीभगत करके गुपचुप तरीके से अपने नाम पर तस्दीक करवा लिया है, जिसकी अपीलांटस को कोई जानकारी नहीं थी। उक्त भंवरलाल की भी मृत्यु हो चुकी है जिसके 2 पुत्र गणेश व रामभरोस एवं चार पुत्रियां नन्दू, सोहनी, मेदा, भूली है। इनमें से रामभरोस पुत्र भंवरलाल की भी मृत्यु हो चुकी है, जिसका एक पुत्र रेस्पो.सं. 2 शंभू है। इस प्रकार रेस्पो.सं. 1 लगायत 6 मृतक भंवरलाल के वारिसान है। अपीलांटस तीनों ही मथुरा की जाईन्दा पुत्रियां होने से अपीलांटस प्रथम श्रेणी की वारिस है, जिनका भंवरलाल के समान ही पैतृक कृषि भूमि में बराबर 1/3 हिस्से पर अधिकार होने से अपीलाधीन नामान्तरकरण में अपीलांटस का नाम भी दर्ज होना चाहिए था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस का उनके 1/3 हिस्से पर कब्जा निरन्तर चला आ रहा होने पर भी बिना कोई

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जांच एवं सुनवाई का अवसर दिये पिता मथुरा का फोती इंतकाल भंवरलाल के पक्ष मे तस्दीक करने में कानूनी भूल की है। इस कारण उक्त नामान्तरकरण अवैधानिक व शून्य प्रभावी होनें से निरस्त होने योग्य है। उक्त नामान्तरकरण की अपीलांटस को कोई जानकारी नहीं थी। उक्त नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी अपीलांटस को पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 14.07.2017 को देने पर हुई। उसी दिन नकल हेतु आवेदन पेश किया तथा दिनांक 17.07.2017 को नकल प्राप्त होने पर यह अपील दिनांक 22.03.2018 को अवधि मध्य पेश की गई है। अभिभाषक अपीलांटस द्वारा अपील अपीलांटस स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर अपीलांटस के नाम पिता मथुरा के हिस्सा 1/3 की कृषि भूमि का नामान्तरकरण तस्दीक करने का आदेश प्रदान करने बाबत निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांटस ने स्वयं को वादग्रस्त कृषि भूमि के सहखातेदार मथुरा की पुत्रियां होना बताया है, ऐसी स्थिति में अपीलांटस को अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके खाते के बारे में करीब आधी सदी गुजर जाने तक कोई जानकारी नहीं रही हो, यह कतई विश्सनीय नहीं है ज़बकि किसानों को कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार समय समय फसल खराबा का मुआवजा, पीएम सम्मान निधि आदि सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त होते है। ऐसे में खातेदार या उसके वारिसान को खाते में दर्ज नामों की पूरी जानकारी रहती है। अपीलांटस द्वारा नामान्तरकरण की जानकारी होने पर नियमानुसार 30 दिवस की अवधि में अपील प्रस्तुत की ज़ानी चाहिये थी, जो निर्धारित समय में पेश नहीं की गई, अपितु 46 साल के गंभीर विलम्ब से अपील पेश की गई है, जिसके विलम्ब के संबंध में कोई संतोषजनक कारण भी नही बताया गया। इतना ही नहीं, जब अपीलांट को दिनांक 17.07.2017 को नामान्तरकरण की नकल प्राप्त हो चुकी थी, फिर भी नकल प्राप्ति की तिथि से मियाद बाहर हो जाने के बाद दिनांक 22.03.2018 को अपील पेश की गई है। अतः अपीलांटस द्वारा पेश की गई अपील अवधि बाधित होने से बिना मेरिट पर सुने मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। जिससे जाहिर आया कि अपीलांटस द्वारा ग्राम नीम का खेडा में विस्थित आराजी के खातेदार मथुरा आ. रामा कौम कुम्हार के देहान्त के बाद उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक नामान्तरकरण सं 129 दिनांक 28.02.1972 के विरूद्ध यह अपील पेश की जाकर आपत्ति प्रकट की गई है कि अपीलांटस मृतक सहखातेदार मथुरा की पुत्रियां होने के बावजूद भी उनके पिता मथुरा के फोत हो जाने पर उनके खाते की कृषि भूमि का नामान्तरकरण अपीलांटस के पक्ष में तस्दीक नहीं किया जाकर भंवरलाल आ. होल्या के पक्ष में तस्दीक किया गया, जो निरस्त किया जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 28.02.1972 को तस्दीक किया गया। जिसकी अपील अपीलांटस द्वारा दिनांक 22.03.2018 को इस न्यायालय में पेश की गई। अपील के साथ पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम में अपीलांटस को उक्त नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी पटवारी हल्का द्वारा देने पर दिनांक 14.07.2017 को होना अंकित किया है। अपीलांटस ने स्वयं को मृतक खातेदार की पुत्रियां होना बताया है जिससे उनका अपने पीहर ग्राम नीम का खेडा में आना जाना रहा होगा। ऐसे में अपीलांटस को अपने पिता के फोत हो जाने के बाद उनके खाते की कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड की 46 साल से अधिक अवधि गुजर जाने तक कोई जानकारी नहीं रही हो, यह विश्वसनीय नहीं है। किसानों को लगान अदायगी; विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ, फसल खराबा का मुआवजा इत्यादि खातेदारी रिकार्ड के अनुसार ही प्राप्त होता है, ऐसी स्थिति में अपीलांटस द्वारा दिनांक 14.07.2017 से पूर्व नामान्तरकरण की जानकारी नहीं रहने का कोई कारण नहीं बताया। इस कारण अपीलांटस को अपीलाधीन आदेश की पहले से ही जानकारी होने की धारणा की जाती है।

यहां महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि जब अपीलांटस को नामान्तकरण की जानकारी हो गई तथा उसकी नकल भी दिनांक 17.07.2017 को प्राप्त कर ली गई, इसके बावजूद भी 30 दिवस की निर्धारित समयावधि में अपील पेश नहीं की गई, अपितु करीब 8 माह गुजर जाने के बाद दिनांक 22.3.2018 को हस्तगत अपील पेश की गई है। इन 8 माह के विलम्ब के संबंध में भी कोई कारण अंकित नहीं किया, जबकि अपील अन्दर मियाद स्वीकार किए जाने हेतु काननून विलम्ब का **दिन–प्रतिदिन** का स्पष्टीकरण दिया जाना अपरिहार्य है। अपीलांटस के प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के अवलोकन से प्रकट है कि इसमें अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुये विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है, जिससे हस्तगत अपील में मियाद कन्डोन करने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है। अतः अपील अपीलांट अवधि बाधित होने से मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलांटस द्वारा काफी विलम्ब से प्रस्तुत की गयी अपील में विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण पेश करने में अपीलांटस पूर्णतः असफल रही हैं। ऐसे में अत्यधिक विलम्ब को कन्डोन किये जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है। फलस्वरूप अपील के गुणावगुणों पर बिना कोई टिप्पणी किये अपील अपीलांट मियाद बाहर पेश होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे ।

आदेश आज दिनांक 01.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते